

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
“मंत्रालय”
वल्लभ भवन, भोपाल—462004

क्र. सी-6-5-97-3-एक,

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—सम्भागों में कार्यरत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकारों का प्रत्यायोजन.

सम्भागीय आयुक्तों को उनके सम्भागों में पदस्थ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी (न्यायिक सेवा तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों से भिन्न) शासकीय सेवकों के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने के अधिकार शासन द्वारा प्रत्यायोजित किये गये हैं. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 13 अगस्त 1997 में प्रकाशित उक्त आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है.

हस्ता./-

(यू. एस. बिसेन)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

पु. क्र. सी-6-5-97-3-एक,

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 1997

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल,
3. माननीय मुख्यमंत्रीजी/उप मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीगण एवं राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश,
4. मुख्य निर्वाचन-पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,

5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल,
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर,
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी/पुस्तकालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,
11. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ,
12. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा 15 की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

“मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण” क्रमांक 428, भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 अगस्त 1997—श्रावण 22, शके 1919

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
“मंत्रालय”

वल्लभ भवन, भोपाल—462004

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 1997

क्र.सी-6-5-97-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल, राज्य के समस्त संभागीय आयुक्तों को, उनके अपने-अपने सम्भागों में पदस्थ राज्य शासन के सभी विभागों के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के (न्यायिक सेवा तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों से भिन्न) शासकीय सेवकों के सम्बन्ध में उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने हेतु एतद्द्वारा सशक्त करते हैं।

No. C-6-5-97-3-I.—In pursuance of clause (a) and (b) of sub-rule (2) of rule 12 of the Madhya Pradesh civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, the Governor of Madhya Pradesh hereby empowers all Divisional Commissioners of the State to impose the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 10 of the said rules on Class I and Class II officers (except the officers of the Judicial Services and the Police Department) of the State Government posted within their respective divisions.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल शरण शुक्ल, अपर मुख्य सचिव.